# ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(10)

आर0ई0आर0 केश नं0– **203 / 16–17**

कारू उरांव बनाम् उपेन्द्र यादव वगै0

## –: आदेश :–

18

वर्त्तमान अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक कारू उरांव, पे0–दुर्गा उरांव, सा0–लखीपुर (उरांव टोला), थाना वो अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा द्वारा मौजा–खास पथार नं0–669, जमाबंदी नं0–41, दाग नं0–402, रकवा– 00–09–00 धूर एवं मौजा–देवलाकित्ता नं0–730, जमाबंदी नं0–02, दाग नं0–15 एवं 23, रकवा– 01–14–00 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–खास पथार नं0–669, जमाबंदी नं0–41, दाग नं0–402, रकवा– 00–09–00 धूर एवं मौजा–देवलाकित्ता नं0–730, जमाबंदी नं0–02, दाग नं0–15, रकवा–05–02–08 धूर एवं दाग नं0–23, रकवा– 05–02–14 धूर भूमि गत सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत महादेब धांगड़ के नाम से दर्ज है। विपक्षी के द्वारा आवेदक के हिस्से की जमीन मौजा–खास पथार नं0–669, जमाबंदी नं0–41, दाग नं0–402, रकवा– 00–09–00 धूर एवं मौजा–देवलाकित्ता नं0–730, जमाबंदी नं0–02, दाग नं0–15 एवं 23, रकवा– 01–14–00 धूर भूमि जबरदस्ती दखल कर जोत–आबाद कर रहे हैं। विपक्षीगण संख्या बल में अधिक है एवं लठैत किस्म के व्यक्ति हैं। आवेदक गरीब तथा असहाय व्यक्ति हैं। अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

आवेदक द्वारा दाखिल कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–खास पथार नं0–669, जमाबंदी नं0–41, दाग नं0–402, रकवा– 00–09–00 धूर एवं मौजा–देवलाकित्ता नं0–730, जमाबंदी नं0–02, दाग नं0–15, रकवा–05–02–08 धूर एवं दाग नं0–23, रकवा– 05–02–14 धूर भूमि, किस्म–धानी कहकर गत सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत महादेब धांगड़ के नाम से दर्ज है, जो कृषि योग्य भूमि है। विपक्षीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्यजनित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उन्हें इस हेतु कतिपय अवसर प्रदान किये गये थे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजा–खास पथार नं0–669, जमाबंदी नं0–41, दाग नं0–402, रकवा– 00–09–00 धूर एवं मौजा–देवलाकित्ता नं0–730, जमाबंदी नं0–02, दाग नं0–15 एवं 23, रकवा– 01–14–00 धूर भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है।

अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि पर आवेदक को दखल दिलाकर न्यायालय को सूचित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

19/7/18
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

19/7/18
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।